## परिशिष्टों के लिए टिप्पणियां

**परिशिष्ट I के लिए टिप्पणियां :**

1. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है। बिक्री कर इसका अपवाद है, जहां सुसंगत राशि 'राज्य बिक्री कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शायी गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में, जहां 'राज्य योजना स्कीम', 'केंद्रीय योजना स्कीम', 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' तथा 'गैर योजना अनुदान' के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'राज्य योजना स्कीम' के सामने दर्शायी गई है। इसी तरह, जहां 'केंद्रीय योजना स्कीम' तथा 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के लिए अनुदानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के सामने दर्शायी गई है।
3. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

**परिशिष्ट II के लिए टिप्पणियां :**

1. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
2. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. कुछ व्यय शीर्षों के तहत कुछ राज्यों के लिए योजनेतर व्यय के लिए ऋणात्मक आंकड़े दिखाई दे सकते हैं जिसका कारण यह है कि योजनेतर व्यय संबंधित शीर्ष के लिए कुल व्यय में से योजना व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जैसाकि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया होता है।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

**परिशिष्ट III के लिए टिप्पणियां :**

1. 'लोक लेखा' के तहत दिए गए आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर होते हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को 'आंतरिक ऋण' के तहत शामिल किया जाता है जबकि 'नकदी शेष निवेश लेखा' और 'रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां' को 'उचंत और विविध' के तहत शामिल किया गया है। लोक लेखा को निवल आधार पर लेते हुए कुल पूंजीगत प्राप्तियां भी दर्शायी गयी हैं, ताकि पिछले साल के संदर्भ में तुलनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।
2. 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमाराशि और अग्रिम', 'उचंत और विविध' तथा 'विप्रेषण' नामक उप समूह 'लोक लेखा' से संबंधित हैं।
3. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
4. 'केंद्र से ऋण और अग्रिम' के मामले में, जहां 'राज्य योजना स्कीम', 'केंद्रीय योजना स्कीम' तथा 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'राज्य योजना स्कीम' के सामने दर्शायी गई है। इसी तरह, जहां 'केंद्रीय योजना स्कीम' और 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के लिए ऋणों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के सामने दर्शायी गयी है।
5. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
6. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

**परिशिष्ट IV के लिए टिप्पणियां :**

1. 'लोक लेखा' और 'आकस्मिकता निधि' के तहत आनेवाले आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। लोक लेखा को छोड़कर कुल पूंजीगत व्यय भी दिया गया है ताकि पिछले साल के संदर्भ में तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें।
2. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
3. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. व्यय संबंधी कुछ शीर्षों के तहत कुछ राज्यों के लिए योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े हो सकते हैं, जिसका कारण यह है कि योजनेतर व्यय संबंधित शीर्ष के लिए कुल व्यय में से योजना व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जैसाकि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया होता है।
5. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

स्वामित्वः भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
**महुआ रॉय** द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के लिए मुद्रित तथा प्रकाशित एवं **अल्को कॉर्पोरेशन,** ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । संपादक : महुआ रॉय